12/12 IV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 024366

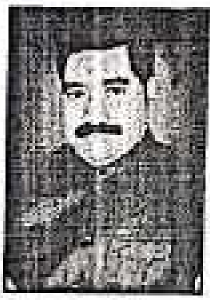

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 04.02.2013 को रामप्रसाद गुप्ता पुत्र स्व० खेदू प्रसाद गुप्ता ग्राम व पोस्ट–जंगीपुर, जनपद–गाजीपुर (जिसे एतदपश्चात संस्थापक/न्यासकर्ता से सम्बोधित किया गया) के द्वारा निष्पादित किया गया है।

ट्रस्ट का नाम–शिवशक्ति चैरीटेबिल ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता–ग्राम व पोस्ट व थाना–जंगीपुर, जनपद–गाजीपुर, उ०प्र०।

मुख्यालय/कार्यालय–ग्राम व पोस्ट व थाना–जंगीपुर, जनपद–गाजीपुर, उ०प्र० (जिसे आवश्यकतानुसार व समयानुसार अन्यत्र व विभिन्न स्थानों पर स्थापित व स्थानान्तरित किया जा सकेगा)

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र–सम्पूर्ण भारत।

ट्रस्ट की स्थापना राशि–11,000 (ग्यारह हजार रुपये मात्र)

ट्रस्ट का उद्देश्य–

ट्रस्ट का उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के सर्वांगीण विकास जिसमें बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व धार्मिक विकास तथा समृद्धि हेतु देश–विदेश में संस्थाओं की स्थापना कर सर्वलोक व सर्वजन कल्याणार्थ लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित व लाभान्वित करने का प्रयास करेगा एवं इन कार्यों में सहकारी, सरकारी, विदेशी व अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना एवं उनका सहयोग करना। न्यास मानव अधिकार स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार व विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा देश, विदेश में लोगों को जागरूक करेगा व इसके लिये हर सम्भव प्रयास करेगा। मानव समाज को समृद्धि संगठित, स्वस्थ एवं नैतिकवान बनाने हेतु देश में परियोजनाओं के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में केन्द्र

क्रमशः——2

रामप्रसाद गुप्ता

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु. 50

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024367

सरकार, राज्य सरकार, निजी संस्थाएं एवं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग प्राप्त कर कार्य करेगा और परियोजना का संचालन करना है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों व उद्देश्यों की पूर्ति भी करना सम्मिलित है :–

1. ट्रस्ट का उद्देश्य है कि सम्पूर्ण मानव को शिक्षित करके निरक्षरता उन्मूलन एवं उनके नैतिक, चारित्रिक एवं मानसिक विकास करने व शैक्षणिक स्तर को उंचा करने के लिये और उनके सर्वांगीण विकास हेतु समस्त कार्य करना है तथा विकास व उत्थान से सम्बन्धित कार्यक्रम का संयोजन संचालन व सम्पादन किया जाना व उससे सम्बन्धित सभी संसाधनों की व्यवस्था करके अपने देश व विदेश में संस्थाओं की स्थापना करके सामाजिक उन्नयन विकास एवं सुधार करने के साथ ही सम्पूर्ण मानव समुदाय को यथासम्भव आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक, नैतिक, आध्यात्मिक रूप से सबल बनाना है।

2. देश में विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक व बौद्धिक विकास हेतु कारगर प्रयास करना तथा विकास को सुनिश्चित करना। लिंग, जाति, धर्म व क्षेत्रवाद के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करना तथा लोगों में मानवीय गुणों को विकसित करना तथा समतामूलक समाज के स्थापना हेतु प्रयास करना है।

3. देश में व्याप्त कुरीतियों, अपराध, नशा, निराशा व गरीबी को समाप्त करना तथा अमीरों और गरीबों, किसानों और गैर किसानों के बीच जीवन दशा के अन्तर को समाप्त करना, दलितों व कमजोर वर्गों तथा गरीबों पर होने वाले अत्याचार को रोकना तथा स्वार्थपरता को मिटाने का उपाय करना तथा गरीबी को खत्म करने की दिशा में सभी उपाय व कार्य करना है।

4. महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों व दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकना तथा उसका निराकरण व निदान कर संतुलित समाज की स्थापना करना। मानव विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना व देश के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा दिलाना है। लोगों की समस्याओं का संकलन व उसके निराकरण का उपाय व विश्लेषण करना और दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, बालश्रम इत्यादि कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में प्रभावकारी अभियान चलाना तथा देशवासियों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में हर सम्भव कार्य करना है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की दिशा में बंधुआ मजदूरों की मुक्ति दासता प्रथा की समाप्ति, नारी उद्धार, नारी सुरक्षा, बालश्रम की समाप्ति विधवा व वृद्धों की दशा में सुधार हेतु जन

क्रमशः—3

21MY1415861

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये — FIFTY RUPEES

रु. 50 — Rs.50

भारत — INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024369

कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना तथा उसके निमित्त केन्द्रों की स्थापना कर उसका संचालन करना है।

5. असहाय, वृद्धों के कल्याणार्थ डे केयर सेंटर, ओल्ड एज होम, वृद्धा पुर्नवास केन्द्र, विकलांगों के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुर्नवास कार्यक्रम व योजना के अन्तर्गत परित्यक्त महिलाओं को पुर्नवासित कर समाज के मुख्य धारा में जोड़ना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आदिवासियों के लिये शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, झुग्गी झोपड़ी तथा फुटपाथों पर जीवनयापन करने वाले बच्चों के लिये शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिवार परामर्श केन्द्र एवं बाल श्रमिकों के लिये विद्यालय तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोष्ठी, सेमिनार का आयोजन करना तथा नारी उद्धार, नारी जागृति, अनाथालय, वृद्धाश्रम, निराश्रित व विस्थापित केन्द्रों की स्थापना करना व उसका संचालन करना है। ट्रस्ट लावारिस लाशों के कफन व दफन का भी इन्तजाम करेगा और उनके धर्म के अनुसार उनकी अन्त्येष्टि भी करेगा।

6. ट्रस्ट का उद्देश्य सभी मानव को शिक्षित करना तथा उसके निमित्त प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, इण्टरमीडिएट विद्यालय, स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दलित अम्बेडकर विद्यालय, संस्कृत व उर्दू पाठशाला, मूकबधिर व विकलांग तथा नेत्रहीन छात्र/छात्राओं की पाठशाला, विधि विद्यालय, तकनीक शिक्षण विद्यालय, उच्च शिक्षण व अनुसंधान केन्द्र, कम्प्यूटर शिक्षण केन्द्र, प्रोफेसनल विद्यालय, प्रौद्योगिक कला, पत्रकारिता, वाणिज्यिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी शिक्षा, गायन वादन, नृत्य कला, प्रशिक्षण व भारतीय भाषाओं से सम्बन्धित शिक्षण संस्थायें व प्रोफेसनल विद्यालयों बी०एड०, बी०टी०सी०, नर्सरी ट्रेनिंग, बी०एड०, डी०एड० बी०पी०एड०, बी०पी०डी०, व एन०सी०टी०ई०टी० द्वारा मान्य समस्त शैक्षणिक डिग्री व डिप्लोमा भारत में संचालित करना तथा शैक्षणिक बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर उनसे सम्बद्ध, आबद्ध पंजीकृत व अनुमोदित कराकर विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करना व उसका प्रबंध करना तथा अन्य संस्थाओं की स्थापना में सहयोग करना और प्रमाण पत्र व डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करना।

7. शिक्षा, विकास पर, सेमिनार, कार्यशाला व सभा का आयोजन करना। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उनके नियोजन के लिये अवसर सृजन करना और नियोजन देना। प्रत्येक गांव पंचायत, प्रखण्ड, जिला स्तर, राज्य

क्रमशः—

21459158421

Principal

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | भारत | FIFTY RUPEES

रु.50 | INDIA | Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 024370

स्तर एवं राष्ट्र स्तर पर बौद्धिक विकास केन्द्र की स्थापना करना एवं उसके निमित्त योजनाओं का संचालन करना। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति एवं उसकी कठिनाइयों के निराकरण के लिये हर सम्भावित कार्यक्रम एवं योजनायें बनाना और उसका क्रियान्वयन कराना है। उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क विद्यालयों की स्थापना करना। एन०एस०एस० व एन०सी०सी० के माध्यम से छात्र–छात्राओं को जागरूक व नैतिकवान बनाना।

8. शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने वाले कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति, मानदेय, पुरस्कार आदि का प्रबंध करना और शिक्षा के क्षेत्र में उन गतिविधियों के संचालन के निमित्त राज्य, व केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करना तथा अन्य संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेना और अनाथालय, पुस्तकालय व वाचनालय तथा व्यायामशाला व क्लब की स्थापना करना व उसका संचालन करना। अध्ययन व अध्यापन हेतु आवास व छात्रावास बनाना व उसकी व्यवस्था करना।

9. ट्रस्ट अखबार, मैग्जीन, साप्ताहिक मासिक व वार्षिक का प्रकाशन करना, वितरण करना व उसका विपणन करना। प्रिंट व इलेक्ट्रानिक प्रचार–प्रसार एवं मीडिया की स्थापना करना व उसका संचालन करना तथा कुटीर शिल्प कला, पाटरी कला, कास्ट कला, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग, हस्त शिल्प, कम्प्यूटर, टंकण, शार्ट हैण्ड, इलेक्ट्रानिक्स, ड्राइविंग, मोटर वाइन्डिंग इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना व संचालन करना तथा पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से उसका प्रचार–प्रसार करना। शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक प्रयोगात्मक पुस्तिका एवं पत्रिका का मुद्रण एवं प्रकाशन करना तथा शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु टेली फिल्म व वृत्त चित्र का निर्माण कार्य करना। लोक कलाओं, लोक संगीत, लोक नृत्य व अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता व मूल कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक करना।

10. स्वास्थ्य, शिक्षा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संवर्द्धन, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करना एवं समाज को लाभान्वित करना। आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, योग ध्यान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की स्थापना करना व संचालन करना व उससे सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्ध करना और इसके द्वारा मानव विकास हेतु कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन, मलेरिया नियंत्रण, पोलियो, एड्स, कुष्ठ एवं टी०बी० उन्मूलन में सरकार व संस्थाओं को कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना। जड़ी बूटी, वनौषधि व अनाम्य औषधि तैयार करना व कराना एवं उसके निर्माण के लिये प्रशिक्षण देना, पेटेन्ट कराना, संग्रहण करना, पैकेजिंग करना व कराना तथा विपणन

क्रमशः—

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024371

की व्यवस्था कर देश–विदेश में निर्यात करना। कुपोषण व महामारी से आम जनता को राहत पहुंचाना तथा विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। राज्य, जिला, प्रखण्ड व पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने तथा उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना एवं बहुउद्देशिय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव जाति का सर्वांगीण एवं बौद्धिक तथा समृद्धि का विकास हो सके। देश में मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, पैरा मेडिकल कालेज, एलायड मेडिकल, प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना तथा अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर लोगो को आर्थिक व तकनीकी रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता उपलब्ध कराना। देशवासियों को रोग मुक्त जीवनयापन के लिये प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य जागरूकता शिविर ने चिकित्सा शिविर, एड्स जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन करना व स्वस्थ समाज की स्थापना करना है और स्थापना मे संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना एवं अन्वेषण एवं शोध कार्य करना। गर्भवती महिला, स्वास्थ्य बाल पोषण, परिवार कल्याण, रक्त दान, पल्स पोलियो, टीकाकरण का प्रचार प्रसार एवं उससे सम्बन्धित सुविधा उपलब्ध करना। मोबाइल डिस्पेंसरी व हास्पिटल एम्बुलेंस की व्यवस्था करना व कराना मेडिकल कालेज, नर्सिंग विद्यालय एवं फार्मेसी व फीजियोथेरेपी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना व लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यो व कार्यक्रमों के संचालन मे सहयोग करना।

11. राष्ट्रीय महत्व के पुरातन धरोहर के संरक्षण मे लोगों को शिक्षित करना एवं उनके जीर्णोद्धार का कार्य करना संचालित करना और ऐतिहासिक महत्व के भवनों को जीर्णोद्धार करना एवं राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु रमणीक पर्यटन स्थल विकसित करना, होटल, रेस्टोरेन्ट, विश्रामालय, भोजनालय, जलाशय, झील का निर्माण करना तथा नौका विहार तथा आवागमन हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना व प्रोत्साहित करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में होटल प्रबंधन से सम्बन्धित शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना।

12. पर्यावरण को शुद्ध व स्वच्छ रखने की दिशा मे पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र पर्यावरण विकास एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना कर एवं पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को जन–जन तक पहुंचाना, प्राकृतिक स्रोत जैसे नदी, झील तथा बांध तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य करना और जल संकट से बचने हेतु अन्वेषण, शोध एवं

क्रमशः——6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024372

प्रयोगात्मक कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है, खनन के क्षेत्र में सम्भावनायें तलाशना एवं खनिज सम्प्रदाओं के संरक्षण में योगदायी कार्य करते हुए उनके दोहन से बचाना है। वन्य सम्पदाओं के संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाना व केन्द्रों की स्थापना करना, वृक्षारोपण करना तथा गन्दी व दूषित पदार्थो को हटाने तथा उसके विघटन की व्यवस्था करना तथा उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। जल संचय एवं पर्यावरण से सम्बन्धित सरकारी, अर्द्धसरकारी व निजी कार्यो का विधिनुसार संचालन करना व उन्हें सहयोग प्रदान करना, पेयजल, स्वजल धारा जलनिधि के कार्यक्रमों का आयोजन, रेन प्राकृतिक जल का संचयन करना है। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षित करना व पर्यावरण सम्बन्धी समस्त प्रकार के कार्य करना व सरकारी योजनाओं के क्रियाकलापों में सहयोग करना।

13. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तलाश व अनुसंधान करना तथा सौर उर्जा, पवन उर्जा और जल उर्जा को तकनीकी रूप से विकसित करना तथा उसके प्रचार व प्रसार हेतु कार्यक्रम, संगोष्ठी व सेमिनार का आयोजन करना व इस हेतु संस्थाओं की स्थापना कर केन्द्र व राज्यों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान कर गति देना है। सौर उर्जा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र को सौर उर्जा ग्राम के रूप में विकसित करना तथा सोलर पार्क बनवाना।

14. पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना, ग्राम पंचायत स्तर पर न्याय व कानून के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा विधि व कानून की जानकारी देना और न्याय पंचायतों को पुर्नजीवित कर योगदान देना।

15. ट्रस्ट कार्य क्षेत्र में केन्द्रीय, राज्य स्तरीय एवं विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण का संचालन करेगा, कपार्ड, नाबार्ड, सूडा, डूडा, सिप्सा, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, डी०आर०डी०ए०, आर०एस० तथा सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर अनुदान/ऋण प्राप्त कर जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालन करना, समाज कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग विभाग, हथकरघा निगम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय व अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर अनुदान/ऋण प्राप्त कर जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना, मनरेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि विकास सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग करना। भारत व राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं से अनुदान प्राप्त कर उन योजनाओं का विधिनुसार संचालन करना।

क्रमशः

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024373

16. कृषि के क्षेत्र में अन्वेषित नवीन प्रौद्योगिकी बायो टेक्नोलॉजी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में करना व कराना और किसानों को उन्नत कृषि में प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षित एवं समृद्ध बनाना। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, जलछन्नन, भूमि संरक्षण व बीज शोधन करना तथा उन्नतशील प्रजाति के बीजों का अन्वेषण कर उन्नत कोटि का बीज एवं खाद, उर्वरक कृषकों को उपलब्ध करना तथा उसके निमित्त केन्द्रों की स्थापना करना, नवीन विकसित कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराना, औषधीय कृषि हेतु कृषकों को प्रशिक्षित करना तथा गरीब व सीमान्त कृषकों को केन्द्र व राज्य द्वारा प्रदत्त अनुदान व अनुग्रह संसाधानों का वितरण करना व कराना। उत्पादित फसल के भण्डारण विपणन व सुरक्षा हेतु बिक्री केन्द्र, शीत गृह, भण्डार गृह की व्यवस्था व निर्माण कार्य करना व कराना, किसानो के लिये बीमा योजना व किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन कराना, आपदा यथा बाढ़ सूखा, भू स्खलन व चक्रवात सुनामी में होने वाले क्षति का आकलन कर उसकी पूर्ति हेतु कार्य करना तथा सहयोग प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संगठनों और किसानो के विकास में सहयोग प्रदान करना तथा कृषकों के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करना। कृषि एवं बागवानी विकास पर सेमिनार/कार्यशाला गोष्ठी/बैठक का आयोजन करना, पंचायत/प्रखण्ड/जिला/राज्य स्तर पर कृषि विकास केन्द्र की स्थापना करना शोध एवं अनुसंधान कार्य करना, कृषकों को सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना, कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित करना व प्रशिक्षित करना। पशुपालन के क्षेत्र में अच्छी नस्ल व प्रजातियों के पशु तैयार करने हेतु अनुसंधान करना व बढ़ावा देना तथा दुग्ध के क्रय विक्रय केन्द्र व उसके रख रखाव हेतु पाश्चुराईड केन्द्रों की स्थापना करना।

17. यह ट्रस्ट भवन निर्माण, बिल्डर्स, टाउन प्लानर रियल इस्टेट डेवलपर्स आदि का कार्य एवं सरकारी एवं प्राइवेट सिविल कान्टैक्टर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई आदि संचालित कर धनार्जन करते हुए चैरिटी योग्य निःस्वार्थ भाव से शहरी व ग्रामीण विकास आवास विकास तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत निर्माण कार्य कराना, समाज के गरीब वर्गों के लोगों को आवासीय/रिहायशी सुविधा उपलब्ध कराना है। डी0आर0डी0ए0, आर0डी0ए0, निर्माण विभाग एवं अन्य विभागो समन्वय स्थापित कर सड़कों, गलियों का निर्माण व पी0डब्लू0डी0 मण्डी जिला पंचायत आदि मरम्मत कराना तथा नालियों, नालों व टैंनो का निर्माण करना है।

18. जेलों में बन्द विचाराधीन कैदियों को जेल मैनुअल के अन्तर्गत उचित न्याय दिलाने का प्रयास करना तथा ऐसे बन्दियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें विधिक सुविधा व न्याय मुहैया कराना है

क्रमशः—

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024374

महिला कैदियों की दयनीय हालत में सुधार लाना व चिन्ताजनक स्थिति से मुक्ति दिलाना तथा शीघ्र व त्वरित न्याय हेतु आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कानून के संशोधन हेतु माहौल तैयार करना।

19. बेरोजगारी की समस्या व स्वरूप का अध्ययन एवं निदान एवं निराकरण का उपाय निकालना युवकों व छात्र/छात्राओं के समस्याओं का निवारण करना व समाज के पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक व अनु0जाति व जनजाति के लोगों के बीच वर्गीकरण कर उनके जीवन स्तर को उंचा उठाना, कृषि, मजदूर, औद्योगिक मजदूर, ईंट भटठा, पत्थर तोड़ने वाले, बीड़ी, दर्जी, दुकानदार, मछुवारा एवं अन्य असंगठित मजदूरों के समस्याओं का अध्ययन व उनके उत्थान हेतु प्रयास करना। गरीबों को वस्त्र, भोजन इत्यादि का वितरण करके सहायता करना तथा विधवाओं, निराश्रितों, विकलांगों के सामाजिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

20. स्वतंत्र भारत के संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकार के सम्बन्ध मे लोगों को जानकारी प्रदान करना व माननीय मूल्यों व गरिमा को स्थापित करने हेतु सुरक्षा एवं संरक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम सुनिश्चित करना एवं कियान्वयन करना। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में शिक्षण कार्यक्रम संचालित करना और मानवाधिकार व सामाजिक अधिकार के हनन की रोकथाम के लिये आवश्यक कार्यक्रम चलाना एवं कियान्वित करना। बच्चों व महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न व अत्याचार को रोकना तथा उसके निमित्त संगठन व संस्था बनाना।

21. व्यक्ति विशेष व अन्य सोसाइटीज व अन्य ट्रस्ट व विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओं तथा धार्मिक संस्थाओं को इस ट्रस्ट के अधीन कर समायोजित करना तथा उसका संचालन व प्रबंधन करना।

22. भारत सरकार व राज्य सरकारों व सरकारी, अर्द्धसरकारी व किसी संस्था द्वारा चलाये जा रहे किसी भी प्रकार की योजनाओं से अनुदान प्राप्त कर उन योजनाओं का विधि अनुसार संचालन करना।

<u>ट्रस्ट के कार्य–</u>

ट्रस्ट अपने उददेश्यों की पूर्ति के लिये समस्त कार्य करेगा। ट्रस्ट विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, प्रान्तीय, जनपदीय व क्षेत्रीय संगठनों संस्थाओं व व्यक्तियों से सरकारी, गैर सरकारी तथा सहकारी व निजी मद से चल व अचल सम्पत्ति के रूप में सहयोग प्राप्त करेगा व उसका व्ययन सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करेगा और अपने उददेश्यों की पूर्ति हेतु सभी यथासम्भव कार्य करेगा। ट्रस्ट अपने चल व अचल सम्पत्ति का हस्तानान्तरण, विनिमय, गिरवी, बंधक ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु कर सकेगा।

क्रमशः——9

२।२५।४५२६४

Principal

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024375

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता–

इस ट्रस्ट पर शिक्षा सेवा ट्रस्ट, ट्रस्ट सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की समस्त धाराएं नियम, उपनियम व अनुच्छेद लागू होंगे, जो इस ट्रस्ट के संचालन हेतु आवश्यक है और जो न्यायिक विधा मे व्यवहित व मान्य है। यह न्यास उक्त नियमों, उपनियमों धाराओं व अनुच्छेदों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है।

ट्रस्ट की सदस्यता–

ट्रस्ट की सदस्यता विधितः संविदा गठित करने योग्य व्यक्तियों द्वारा निम्नवत होगी।

1. आजीवन सदस्य–ट्रस्ट के संस्थापक/न्यासकर्ता व मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के आजीवन सदस्य होंगे। वर्तमान मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी राम प्रसाद गुप्ता अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने पद पर उत्तरदायित्व स्थानान्तरित कर उन्हें मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष नियुक्त कर सकते है अन्यथा मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी के मृत्योपरान्त उनका पुरुष संवर्गीय उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट के मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष होंगे। उत्तराधिकारी के नाबालिग होने की दशा में नाबालिग का नैसर्गिक संरक्षक उसके बालिग होने तक मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्य सम्भालेंगे।

सामान्य सदस्य–

वे व्यक्ति होंगे जो ट्रस्ट में 1001/– रुपये वार्षिक सदस्यता के रूप में दान करेंगे जिसकी संस्तुति मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष करेंगे। वे ट्रस्ट के सामान्य सदस्य होंगे। सामान्य सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी।

सदस्यों का कार्यकाल/समाप्ति–

1. आजीवन सदस्य का कार्यकाल तथा सदस्यता की समाप्ति आजीवन सदस्य का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा निम्नांकित परिस्थितियों में सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

i. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

ii. सदस्य के दिवालिया या पागल हो जाने पर।

iii. कार्यकाल के दौरान अपने किसी उत्तराधिकारी को अपने पद पर नियुक्त कर देने के उपरान्त।

2. **सामान्य सदस्यों का कार्यकाल तथा सदस्यता की समाप्ति–**

क्रमशः——10

21245 ... 64

Principal

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

भारत

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024376

सामान्य सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष होगा व निम्नांकित परिस्थितियों में सामान्य सदस्यों की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

i. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
ii. सदस्य के दिवालिया या पागल हो जाने पर।
iii. किसी सदस्य के त्याग पत्र देने पर जिसको मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष मान्य करेंगे।
iv. किसी सदस्य के ट्रस्ट विरोधी कृत्य में संलिप्त होने पर जिसकी संस्तुति मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा की जावे।

ट्रस्ट सामान्यता बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा संचालित व प्रशासित होगा निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन किया जाता है।

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	रामप्रसाद गुप्ता	स्व0 खेदू साव	ग्राम व पोस्ट जंगीपुर, जनपद गाजीपुर।	संस्थापक/ न्यासकर्ता/ मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी	व्यापार
2	ममता कुमारी	स्व0 बैजनाथ प्रसाद	ग्राम व पो0 बिहिया, जनपद भोजपुर, बिहार	सदस्य	व्यापार
3	रीना गुप्ता	श्री कपिल साह	ग्राम व पो0 गड़वार, जनपद बलिया	सदस्य	व्यापार
4	अनिता गुप्ता	अशोक कुमार गुप्ता	ग्राम व पो0 जंगीपुर जनपद गाजीपुर।	सदस्य	गृहिणी
5.	गायत्री	श्री अर्जुन साह	ग्राम व पो0 बेगमपुर आरा, जिला भोजपुर, बिहार।	सदस्य	व्यापार

नियमावली

1. यह कि मु0 11,000/- रूपये जो सदस्यों द्वारा दान में दिया गया है, के साथ भविष्य में समय-समय पर दान, उपहार, अन्तरण अनुदान सहयोग आदि के रूप में ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त सम्पत्ति व उससे प्राप्त आय आदि समस्त सम्पदा ट्रस्ट फण्ड व ट्रस्ट की सम्पत्ति मानी जायेगी।

2. यह कि उपरोक्त लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त ट्रस्ट फण्ड को बैंक, पोस्ट आफिस व्यवसायिक फर्म, राजकीय प्रतिभूति बाण्ड, ऋण पत्र व कम्पनी के शेयरों आदि में जहां ट्रस्टीगण उचित समझे समय समय पर निवेश कर सकेंगे।

क्रमशः—11

2124461523E4

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 024377

3. यह कि ट्रस्ट अपने ट्रस्ट फण्ड के धन को अचल सम्पत्तियों को खरीदने पटटा लेने आदि में अथवा ट्रस्टीयों के द्वारा समय समय पर जहां उचित समझा जाये किसी अन्य लाभदायक कार्य में निवेशित कर सकेंगे।

4. यह कि ट्रस्ट सम्पत्ति के आय का अलग लेखा जोखा लिखित रूप में रखेंगे, जिसका आडिट प्रत्येक वर्ष चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

5. मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :-

5.1 मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि चाहे तो वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।

5.2 मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल मे ही मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

5.3 यदि कोई अन्य व्यवस्था मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित न कर दी जाय तो उसकी मृत्यु के पश्चात उनके पुरुष संवर्गीय वारिसान इस ट्रस्ट के मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष होंगे।

5.4 वर्तमान मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व किसी व्यक्ति को अन्तरित कर सकते है।

5.5 यदि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के मृत्यु के समय वारिसान यदि नाबालिग होते है जो उनकी ओर से उनके नैसर्गिक संरक्षक मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्य तब तक सम्भालेंगे जब तक कि वारिसान कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।

5.6 किसी भी व्यक्ति के मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो इस ट्रस्ट डीड के मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।

6. मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

6.1 मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

क्रमशः——12

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024378

6.2 यह कि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

6.3 यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्ही विषयो पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6.4 यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव का मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ मे मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य अन्तिम होगा।

6.5 ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख रेख करने के लिये ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सचिव उपसचिवों की नियुक्ति करना।

6.6 मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष भविष्य मे आवश्यक होने पर ट्रस्ट के हित मे इस ट्रस्ट डीड मे उल्लिखित ट्रस्ट के उददेश्य एवं नियमावली मे संशोधन/परिवर्तन कर सकेगा।

7. अध्यक्ष/मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं–

7.1 यह कि अध्यक्ष/मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त निवास कार्यालय एवम वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने मे मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

7.2 यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि प्राप्त कर सकता है। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा। मानदेय भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायी नही होगा।

8. <u>कार्य क्षेत्र :–</u>

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

9. <u>सचिव/उपसचिवो की नियुक्ति :–</u>

9.1 यह कि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन कार्यो को एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

क्रमशः——13

2124 H15/354

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024379

9.2 यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाएं कार्य मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

9.3 यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

10. उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

10.1 मुख्य मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिये एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

10.2 यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य नियम मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे।

10.3 यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त, कार्य करेंगे। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियो के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियो को उनके पदो से हटा सकता है तथा इन पदो पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य सदस्य व्यक्ति को हस्तांतरित व प्रदान कर सकता है।

11. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष/मुख्य मैनेजिग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

12. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

12.1 ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिये ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है।

12.2 ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

12.3 ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापो एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।

क्रमशः—14

2145141527541

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु. 50

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024380

12.4 ट्रस्ट के अन्तर्गत सृजित पदों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति। पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

12.5 विभिन्न कार्यकलापें, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों/पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।

12.6 ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच हेतु निर्णायक की नियुक्ति करना।

12.7 एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

12.8 प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

12.9 जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना।

13. उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :—

13.1 सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

13.2 सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना, जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।

13.3 सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्य का पालन करना।

14. विधिक कार्यवाही :—

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं कर सकता है या इस निमित्त किसी अन्य को अधिकृत कर सकता है।

15. सम्पत्ति सम्बन्धी :—

15.1 ट्रस्ट चल/अचल विधिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक सामान्य नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।

15.2 ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

15.3 ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

क्रमशः——15

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु. 50 | Rs.50

भारत | INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 024381

15.4 ट्रस्ट अपनी चल/अचल सम्पत्ति का क्रय/विक्रय कर सकता, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है व अन्तरित कर सकता है।

15.5 ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और किसी को दे सकता है।

15.6 ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक में अपना खाता खोल सकता है व बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

15.7 चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति बंधक नाशित गिरवी विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है, दे सकता है।

16. बैंक एकाउण्ट :–

16.1 ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा, मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

16.2 ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय/संस्था/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

17. विशेष :–

17.1 इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट शिवशक्ति चैरिटेबिल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करते है तो नियम/उपनियम का उल्लंघन व अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

17.2 यह कि किसी व्यक्ति को ट्रस्टी नियुक्त करने या किसी ट्रस्टी को हटाने का अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को बहुमत के आधार पर प्राप्त होगा, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने की स्थिति में मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा।

क्रमशः——16

2124/1115/364

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये — FIFTY RUPEES

रु.50 — Rs.50

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — AE 024382

17.3 यह कि ट्रस्ट का कोई भी ट्रस्टी अपने पद से एक माह पूर्व की अपनी लिखित नोटिस देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है।

17.4 यह कि ट्रस्ट की मीटिंग में 1/2 सदस्यों की उपस्थिति कोरम की पूर्णता के लिये आवश्यक होगा, यदि कोरम पूर्ण नहीं होता है तो मीटिंग आधे घण्टे के लिये स्थगित की जायेगी, तदोपरान्त उपस्थित ट्रस्टियों चाहे जिस संख्या में हो, मीटिंग संचालित कर निर्णय लिया जा सकेगा।

17.5 यह कि सभी मामलों व प्रश्नों पर जो मीटिंग में उठाये जाय, बहुमत के आधार पर निर्णीत किये जायेंगे, लेकिन मतों के बराबर की स्थिति में अध्यक्ष/मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का मत आखिरी व निर्णायक होगा।

17.6 यह कि प्रत्येक बैठक की मिनट बुक अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

17.7 यह कि ट्रस्ट का एकाउण्ट प्रत्येक 31 मार्च को समाप्त हुआ करेगा और आय व्यय का अद्यतन लेखा जोखा विधिवत आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि के एक माह पूर्व तैयार करवा लिया जायेगा।

17.8 यह कि इस ट्रस्ट में नामित व्यक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्ट व सामान्य सदस्य के रुप में अपने नामांकन को तथा मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दान में दी गयी सम्पत्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति को स्वीकार करते है।

17.9 अध्यक्ष/मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

17.10 उक्त न्याय का विखण्डन न्यास अधिनियम व तत्समय प्रवृत्त विधि के प्राविधानों के अनुरूप हो सकेगा। "शिवशक्ति चैरिटेबुल ट्रस्ट" की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित शिवशक्ति चैरिटेबुल ट्रस्ट के उददेश्य एवं नियमावली एतदद्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित एवं अंगीकृत की जाती है। तदनुसार प्रस्तुत न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया जाता है।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

70AB 645407

—17

मसविदाकर्ता :—लक्ष्मीकान्त श्रीवास्तव, एडवोकेट
सिविल कोर्ट, गाजीपुर।
टंकणकर्ता :— प्रमोद कुमार

Laxmi Kant
Adv
9-7-13

ह० निष्पादनकर्ता :—
[illegible]

साक्षीगण :—अर्जुन कुमार पुत्र श्री कामेश्वर [illegible]
1. [illegible]

2. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पु० स्व० अनिरुद्ध कान्त
ग्रा० नरवर [illegible]
परगना [illegible] जिला गाजीपुर